उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 173 / 2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 गलवलिया इस्पात उद्योग प्रा0 लि0, परिवादी
नारायण नगर, बाजपुर रोड, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 गलवलिया इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनका प्रतिष्ठान जीआईयूपीएल स्टील उत्पादों का निर्माण करता है, जिसके नाम पर विद्युत संयोजन संख्या–370K000003357 (27,500.00 केवीए, औद्योगिक) चला आ रहा है। उनका प्रतिष्ठान UPCL से बिजली खरीदने के अलावा Indian Energy Exchange और Captive Power Arrangement के माध्यम से भी बिजली खरीदता है। UPCL द्वारा Open Access अथवा captive Power Arrangement के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली पर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess की वसूली की जाती है। इसी क्रम में UPCL द्वारा अप्रैल 2025 से उनके प्रतिष्ठान पर भी उपरोक्त चार्जेज प्रभारित किए जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्मानुसार है––

1. अप्रैल 2025 से प्रभारित Additional Surcharge :–

Month	Captive Solar Units (KVAH)	Rate of Addl. Surcharge	Amount (Rs.)
April 2025	33,53,574	Rs.1.14/kvah	38,23,074
May 2025	35,96,913	Rs.1.14/kvah	41,00,481
June 2025	30,15,632	Rs.1.14/kvah	34,37,821
July 2025	28,08,534	Rs.1.14/kvah	32,01,729
August 2025	26,21,764	Rs.1.14/kvah	29,88,811
September 2025	26,60,463	Rs.1.14/kvah	30,32,928
Total	1,80,56,880		2,05,84,843

क्रमशः 2....

2. अप्रैल 2025 से प्रभारित Cross Subsidy :—

Month	Captive Solar Units (KWH)	Rate of Cross Subsidy	Amount (Rs.)
April 2025	32,75,183	Rs. 0.58/kwh	18,99,606
May 2025	35,05,507	Rs. 0.58/kwh	20,33,194
June 2025	29,61,859	Rs. 0.58/kwh	17,17,878
July 2025	27,67,140	Rs. 0.58/kwh	16,04,941
August 2025	25,85,515	Rs. 0.58/kwh	14,99,599
September 2025	26,40,693	Rs. 0.58/kwh	15,31,602
Total	**1,77,35,897**		**1,02,86,820**

3 अप्रैल 2025 से प्रभारित Electricity Duty:—

Month	Captive Solar Units (KWH)	Rate of Elect. Duty	Amount (Rs.)
April 2025	32,75,183	Rs. 0.50/kwh	16,37,592
May 2025	35,05,507	Rs. 0.50/kwh	17,52,754
June 2025	29,61,859	Rs. 0.50/kwh	14,80,930
July 2025	27,67,140	Rs. 0.50/kwh	13,83,570
August 2025	25,85,515	Rs. 0.50/kwh	12,92,758
September 2025	26,40,693	Rs. 0.50/kwh	13,20,347
Total	**1,77,35,897**		**88,67,949**

जबकि Electricity Duty निम्नानुसार बनती है:—

Month	Captive Solar Units (KWH)	Rate of Elect. Duty	Amount (Rs.)
April 2025	32,75,183	Rs. 0.02/kwh	65,504
May 2025	35,05,507	Rs. 0.02/kwh	70,110
June 2025	29,61,859	Rs. 0.02/kwh	59,237
July 2025	27,67,140	Rs. 0.02/kwh	55,343
August 2025	25,85,515	Rs. 0.02/kwh	51,710
September 2025	26,40,693	Rs. 0.02/kwh	52,814
Total	**1,77,35,897**		**3,54,718**

इस तरह द्वारा UPCL द्वारा Electricity Duty के रूप में रू0 85,13,231.00 अधिक प्रभारित किए गए हैं।

4 अप्रैल 2025 से प्रभारित Green Cess:—

Month	Captive Solar Units (KWH)	Rate of Green Cess	Amount (Rs.)
April 2025	32,75,183	Rs. 0.10/kwh	3,27,518
May 2025	35,05,507	Rs. 0.10/kwh	3,50,551
June 2025	29,61,859	Rs. 0.10/kwh	2,96,186
July 2025	27,67,140	Rs. 0.10/kwh	2,76,714
August 2025	25,85,515	Rs. 0.10/kwh	2,58,552
September 2025	26,40,693	Rs. 0.10/kwh	2,64,069
Total	**1,77,35,897**		**17,73,590**

क्रमशः 3....

उनके प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 31.05.2025, 14.06.2025 व 30.06.2025 को अपने पत्रों के माध्यम से प्रचलित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उनसे उपरोक्त शुल्क न लेने का कई बार यूपीसीएल से अनुरोध किया गया, परन्तु न कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई और न ही कोई कार्यवाही की गई। उनके प्रतिष्ठान द्वारा अपने कैप्टिव विद्युत उत्पादन को सुरक्षित करने हेतु भारी भरकम निवेश किया है और अब UPCL द्वारा उन पर Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess जैसे प्रभार लगाए जाने से उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है तथा Working Capital कम होने से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 के बीच UPCL द्वारा Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess के नाम पर उनके प्रतिष्ठान का कुल रू0 41158484.00 अपने पास रखा गया है तथा यह धनराशि प्रत्येक माह 7000000.00 के हिसाब से बढ़ रही है। शिकायतकर्ता कथन है कि उनके प्रतिष्ठान की राजस्थान में स्थापित Onevolt Energy Private Limited नामक Captive Generating Plant में हिस्सेदारी है, जोकि Electricity Rules 2005 के Rule 3 की न्यूनतम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं न्यूनतम 51 प्रतिशत विद्युत का स्वयं उपयोग करने जैसी सभी अर्हताओं को भी पूरा करता है। अतः उनके द्वारा अपने Captive Generating Plant से ली जाने वाली बिजली पर UPCL द्वारा Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess लगाया जाना भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 एवं माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विभिन्न विनियमों के विपरीत है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी विभाग UPCL से प्रचलित कानूनी प्रावधानों का पालन करवाते हुए प्रतिमाह 1.14/kvah (अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025) की दर से Additional Surcharge, 0.58 पैसे/केडब्लूएच की दर से Cross Subsidy, और 0.10 पैसे/केडब्लूएच की दर से Green Cess लगाने से रोकने, Electricity Duty रू0 0.50 प्रति Kwh की बजाए रू0 0.02 प्रति Kwh की दर से लगाने और अप्रैल 2025 सितम्बर 2025 तक प्रभारित रू0 4,11,58,484.00 ब्याज सहित वापस करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 25.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.11.2025, 28.11.2025, 11.12.2025, 26.12.2025, 16.01.2026 एवं 31.01.2026 को परिवादी के अधिवक्ता श्री शकील सिद्दिकी के तथा विपक्षी विभाग की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) व विभाग के अधिवक्ता श्री अमरीश अग्रवाल के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7956 दिनांक 06.11.2025, पत्र संख्या–8265 दिनांक 26.11.2025 एवं पत्र संख्या–591 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Captive Generating Plant के माध्यम से विद्युत का उपभेग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) का गठन किया गया है। उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–10/2025 दिनांक 10.02.2025 "Procedure for verification of captive status of such generating plant, where captive generating plant and its captive user(s) are

क्रमशः 4....

located in more than one state" के बिन्दु–3 (Definitions) के उपबिन्दु–3.1(k) "Single captive user" means a user, having not less than 26% ownership in the CGP and consuming not less than 51% of electricity generated from the CGP." में प्राविधान अंकित किया गया है। बिन्दु–6 के उपबिन्दु–6.2 The minimum threshold of ownership, which is 26%, is to be met and satisfied throughout the year, i.e. from 1st April of a year to 31st March of year under consideration, irrespective of the change in the ownership during the year under consideration में प्राविधान दिया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 51% consumption का सत्यापन वर्ष के अंत में ही प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। साथ ही, उपबिन्दु–3.1(m) "Year" Means a year from 1st April of a year to 31st March of following year में वर्ष को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार परिवादी द्वारा 31 मार्च 2026 तक अपने Captive Status के verification हेतु CEA के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना है, उसके उपरांत ही निर्धारित प्राक्रिय के तहत CEA द्वारा परिवादी को Captive Status प्रदान किया जा सकेगा। उससे पूर्व परिवादी को Captive User नहीं माना जा सकता है। ऐसे में परिवादी द्वारा माह अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक के अपने विद्युत बिलों में Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess की दरों में राहत की मांग/शिकायत नियमविरूद्ध एवं Premature है। परिवादी के बिलों में Additional Surcharge, Cross Subsidy एवं Electricity Duty माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेशानुसार लगाए गए हैं, जबकि Green Cess उत्तराखण्ड शासन द्वारा पारित आदेशानुसार लगाए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार Captive Users का सत्यापन तय प्रकिया के तहत CEA द्वारा किए जाने के उपरांत ही परिवादी को Captive User मानते हुए उपरोक्त Charges में छूट/राहत दिया जाना संभव है।

प्रस्तुत प्रकरण में इस मंच द्वारा उभय पक्षों के तर्क सुने गए तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, The Electricity Rules 2005 के कानूनी प्रावधानों, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2021 तथा मैसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेटस लिमिटेड के मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आदेश दिनांक 19.07.2024 का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत इस मंच ने पाया कि परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा अपनी इस वर्तमान शिकायत के माध्यम से Additional Surcharge, Cross Subsidy, Electricity Duty एवं Green Cess की मद में विपक्षी विभाग द्वारा वसूली गई रू0 4,11,58,484.00 की धनराशि ब्याज सहित वापस दिलवाने की प्रार्थना की गई है, जोकि विपक्षी विभाग द्वारा उसके अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक के विद्युत बिलों में प्रभारित की गई हैं। प्रस्तुत प्रकरण से जुड़े दस्तावेजी तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सम्यक विश्लेषण करने से पूर्व यह मंच इस प्रकार के मामलों में अपने क्षेत्राधिकार पर विचार करना अति–आवश्यक समझता है। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिल में Additional Surcharge, Cross Subsidy एवं Electricity Duty माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम एवं आदेश के अनुसार प्रभारित की गई है तथा Green Cess की धनराशि उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार प्रभारित की गई हैं, जोकि नीतिगत विषय होने के कारण इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी प्रतिष्ठान को वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा

क्रमशः 5....

Captive User का दर्जा प्राप्त है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करना भी इस मंच के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अतः यह मंच अपने क्षेत्राधिकार की परीधि से बाहर के इस प्रकरण में सुनवाई करने अथवा निर्णय पारित करने में सक्षम नहीं है। तद्नुसार, परिवादी प्रतिष्ठान की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 187/2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सपना सिंह पत्नी श्री राजीव सिंह, परिवादी
हाउस नं0 35, व्हाईट हाउस, रामनगर रोड, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सपना सिंह पत्नी श्री राजीव सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 16.03.2024 को ग्राम चांदपुर, तहसील काशीपुर में खसरा नं0 152 की कृषि भूमि खरीदी गई थी, उक्त भूमि पर परिवादिनी के द्वारा विपक्षी के कार्यालय में स्थायी विद्युत संयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा स्थायी संयोजन देने से मना कर दिया गया, जब बार–बार चक्कर लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिवादिनी ने मजबूरन अस्थायी विद्युत संयोजन लिया। वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर स्थायी संयोजन लेना चाहती है, परन्तु विपक्षी विभाग का कहना है कि उक्त परिसर, कॉलोनी के अन्तर्गत आता है, बिल्डर द्वारा विद्युतीकरण कार्य कराये जाने के बाद ही स्थायी कनेक्शन दिया जा सकता है, जबकि उनकी उक्त भूमि माल कागजात में कृषि भूमि है, यह क्षेत्र मास्टर प्लान से बाहर है, जिस कारण ऊधमसिंह नगर विकास प्राधिकरण के नियम व शर्तें इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं है, जिस कारण मानचित्र स्वीकृत की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उत्तराखण्ड रियर स्टेट एक्ट (रेरा) के तहत पंजीकरण की कोई आवश्यकता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 के तहत लाईसेंसी की टैरिफ व पॉलिसी निर्धारित करने का अधिकार नियामक आयोग को होता है और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार परिवादिनी को स्थायी विद्युत कनेक्शन न देना भारतीय संविधान के विपरीत है, तथा विद्युत अधिनियम 2003 व इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 एवं इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के विपरीत है। स्थायी विद्युत कनेक्शन न मिलने से परिवादिनी को भारी असुविधा का सामना करना पड़

क्रमशः 2....

रहा है। उनके द्वारा स्थायी विद्युत संयोजन हेतु पुनः आवेदन करने का प्रयास किया गया, परन्तु विपक्षी विभाग कार्यालय के कर्मचारियों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जबकि उनके द्वारा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल भी बना रखी है। भूमि की बाउण्ड्री वॉल की फोटो, भूमि की रजिस्ट्री की छायाप्रति, अस्थायी विद्युत संयोजन की रसीद एवं भुगतान रसीद की प्रति भी दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर 05 किलोवाट भार का स्थायी विद्युत संयोजन स्थापित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 28.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025, 16.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—8264 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा जिस भूखण्ड पर स्थाई विद्युत संयोजन का आवेदन किया जा रहा है, वह भूखण्ड एक कॉलोनी में स्थित है, जिसे कॉलोनाईजर द्वारा डेवलप किया गया है। कॉलोनाईजर द्वारा विभागीय नियमानुसार विद्युतीकरण कराने के उपरान्त परिवादिनी को स्थायी विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के बिन्दु सं0 3.6 New Electricity Connection in Residential Complex/Non–Residential Complex/Multiplex/Malls/ Townships etc. to be contructed by Developer..... में निहित प्राविधानों के अनुपालन के उपरान्त, परिवादिनी को नया विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिवादिनी द्वारा परिसर पर भवन निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण नियमानुसार स्थायी संयोजन नहीं दिया जा सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता की लिखित रिपोर्ट एवं सप्लाई कोड की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 16.03.2024 को ग्राम चांदपुर, तहसील काशीपुर में खसरा संख्या 152 की कृषि भूमि श्री मोहम्मद जावेद (डायरेक्टर मैसर्स आशियाना हैबीटेट सोल्यूशन्स प्रा0 लि0) पुत्र मोहम्मद यामीन से खरीदी गई थी तथा उनके द्वारा उक्त भूखण्ड पर स्थायी विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी विभाग में आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा उक्त भूखण्ड पर स्थायी विद्युत संयोजन निर्गत करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि, परिवादिनी द्वारा उक्त भूखण्ड पर अस्थाई विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "....उक्त भूखण्ड, कालोनाईजर द्वारा विकसित कालोनी में स्थित है। कॉलोनाईजर द्वारा UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters)

क्रमशः 3....

Regulations, 2020 के बिन्दु सं0 3.6 New Electricity Connection in Residential Complex/Non–Residential Complex/Multiplex/Malls/Townships etc. to be contructed by Developer में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्युतीकरण कराने के उपरान्त ही परिवादिनी को स्थायी संयोजन दिया जाना संभव है। वर्तमान में परिवादिनी द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण भी उनको स्थायी संयोजन नहीं दिया जा सकता है.....।" परिवादिनी का कथन है कि, "उनके द्वारा ग्राम चांदपुर में जो प्रश्नगत भूखण्ड खरीदा गया है, वो विकेता द्वारा न तो कालोनी बनाकर बेचा गया है और ना ही कोई निर्माण किया गया है। यह प्लॉट के रूप में खरीदा गया है। उक्त भूमि मास्टर प्लॉन से बाहर आती है.....।" यहां पर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के बिन्दु सं0–3.6 का उल्लेख करना आवश्यक है जोकि निम्नवत है.....

"New Electricity Connection in Residential Complex/Non–Residential Complex/Multiplex/Malls/Townships etc. to be contructed by Developer

[Explanation: Residential Complex/Non–Residential Complex/Multiplex/Malls/Townships etc. means any premises comprising of the following:-

a) A Building or Buildings having Residential/ Commercial units;
b) A common area; and
c) any one or more facilities or services such as park, lift, parking space, community hall, common water supply, common lighting facility viz. security/street lights, toilets, watchman room located within a premises and the approval of the layout of such premises may have been granted by an authority under any law for the time being in force.]

(1) The responsibility alongwith the cost of creating required/adequate distribution network within Residential Complex/Non-Residential Complex/Multiplex/Mall/Townships etc. for various cumulative normative load shall be as follows:-

(a) For cumulative normative load above 25 KW and upto 75 KW

From the transformer onwards, i.e. excluding transformer of capacity as determined as per Clause (4) below, as the case may be, and upto the point of connection to the installation of each consumer within such complex, shall be that of the developer/builder/Co-operative Group Housing Society (CGHS) who undertakes construction of such complex. The cost of such transformer including associated accessories and the cost of extending such 11 kV/0.4 kV line from the Licensee's end shall be estimated by the distribution Licensee as per normative charges provided at at Table 3.6 of these Regulation, as the case may be, and such cost shall be payable by the developer/builder/CGHS subject to recovery/refund of additional amount on completion of the works."

उपरोक्त विनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि डेवलपर्स द्वारा विकसित किसी आवासीय/गैर आवासीय कालोनी में विद्युत वितरण नेटवर्क की स्थापना करना उक्त डेवलपर्स की जिम्मेदारी होगी। डेवलपर्स द्वारा नियमानुसार अपेक्षित विद्युत वितरण नेटवर्क स्थापित किए जाने के उपरांत ही ऐसी कालोनियों में नया विद्युत संयोजन निर्गत किया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियंता की आख्या के आधार पर इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा जिस भूखण्ड पर मकान का निर्माण किया जा रहा है वह एक

क्रमशः 4....

कालोनी में स्थित है, जिसे कालोनाईजर द्वारा डेवलप किया गया है। उपरोक्त विनियम के आलोक में परिवादिनी का प्रश्नगत भूखण्ड की स्थिति/श्रेणी निर्धारण करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अतः यह मंच परिवादिनी की इस शिकायत पर सुनवाई करने अथवा उसमें कोई निर्णय पारित करने में सक्षम नहीं है। तद्नुसार परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 200 / 2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मलकराज सिंह, परिवादी
खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री मलकराज सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1K563610207 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर पिछले 03 माह से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हर माह का बिल रू0 1300.00 से अधिक आता है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में शिकायत भी की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 08.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 17.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 15.01.2026, 30.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–233 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का विद्युत मापक संख्या–98340 बैक (**Reverse**) खराब हो गया था, जिसे दिनांक 19.12.2025 को बदलकर नया स्मार्ट मापक संख्या–42146594 स्थापित कर

क्रमशः 2....

दिया गया है। साथ ही नये स्मार्ट मीटर के पाठयांक 82 केडब्लूएच के आधार पर परिवादी का संशोधित बिल रू0 201.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 213/2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री तपन भौमिक पुत्र श्री उपेन भौमिक, परिवादी
अटलनगर, आनन्दखेड़ा, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री तपन भौमिक पुत्र श्री उपेन भौमिक का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2D886150938 (0.40 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बकाया होने के कारण विभाग द्वारा उक्त संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था। जिसके उपरान्त पार्ट पेमेंट रू0 7000.00 एवं रू0 10000.00 का भुगतान किया गया है। इसके उपरान्त वह मजदूरी करने हेतु 2025 में बाहर चला गया था, जिसके उपरान्त विभाग द्वारा बन्द कनेक्शन पर भी अधिक धनराशि का बिल जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026, 30.01.2026 व 24.02.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–894 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर परिवादी को

क्रमशः 2....

जारी विद्युत बिल मापक के पाठयांक के आधार पर सही पाया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.02.2019 को परिवादी का विद्युत संयोजन रू0 24707.00 बकाया पर विच्छेदित किया गया, जिसके उपरांत परिवादी द्वारा माह 12/2021 में रू0 7000.00 एवं माह 02/2025 में रू0 10000.00 का भुगतान किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.02.2025 को परिवादी का संयोजन पुनर्जीवित कर दिया गया। इसके उपरांत भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के बिल प्रेषित किए गए हैं। मीटर रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गैरोला)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 215/2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 रॉयल पैक वास्ते श्री आकाश भटनागर, शिमला बहादुर, सिडकुल रोड, रूद्रपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 — विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 रॉयल पैक की ओर से श्री आकाश भटनागर का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनका विद्युत संयोजन संख्या–890K000243011 (70 किलोवाट, औद्योगिक) वर्ष 2019 में लिया गया था, जिसके बिल का समयानुसार भुगतान किया गया है। उनके द्वारा उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन को माह 08/2025 में स्थायी विच्छेदन हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर, संयोजन कटवा दिया गया था। संयोजन के स्थायी विच्छेदन के उपरान्त जमा जमानत राशि रू0 451341.00 विभाग द्वारा दिये जाने थे जो आज दिनांक तक नहीं दिए गये है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के स्थायी विच्छेदन उपरान्त विभाग में जमा जमानत राशि रू0 451341.00 को वापिस दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026, 30.01.2026 व 24.02.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1157 दिनांक 18.02.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का स्थायी विच्छेदन का कार्यालय ज्ञात संख्या—5011225001 दिनांक 01.12.2025 को बिलिंग प्रणाली द्वारा निर्गत कर दिया गया है, स्थायी विच्छेदन के उपरान्त कुल धनराशि रू0 (—) 415027.00 है, जो परिवादी को वापिस की जानी है। सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशानुसार परिवादी के स्थायी विच्छेदन उपरान्त धनराशि वापिस करने हेतु खण्ड कार्यालय पत्र संख्या—76 दिनांक 06.01.2026 द्वारा *Proper Channel* के माध्यम से सक्षम स्तर पर आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार परिवादी को चैक संख्या—010587 दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से रू0 415027.00 परिवादी को दिनांक 17.02.2026 को वापिस कर दी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी को वापिस की गयी धनराशि चैक की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 224 / 2025--26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती लता रस्तोगी पत्नी श्री राजेन्द्र रस्तोगी, परिवादी
ग्राम मझौला, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती लता रस्तोगी पत्नी श्री राजेन्द्र रस्तोगी का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निधारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या--KH6P233186263 (04 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। यह समस्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद उत्पन्न हुई है, स्मार्ट मीटर लगने के तीन माह बाद रू0 37000.00 का बिल जारी किया गया है जिसमें पिछले बिल की धनराशि रू0 20000.00 को जोड़ते हुए कुल धनराशि रू0 58679.00 का बिल जारी किया गया है, जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026, 30.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक--2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या--31 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का उक्त विद्युत संयोजन वाणिज्यक 04 किलोवाट भार का है। जिसके विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर ही

क्रमशः 2....

निर्गत किए जा रहे हैं। वर्तमान में परिवादिनी का विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित मापक के पाठयांक 2509 केडब्लूएच के आधार पर निर्गत किया गया है। अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–418 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिनी की ऑनलाइन शिकायत पर दिनांक 19.01.2026 को विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा उसके परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच एक्वा चेक से की गई, जिसमें परिवादिनी का मीटर सामान्य पाया गया। इसके उपरांत परिवादिनी द्वारा भी अपनी संतुष्टि प्रकट करते हुए बिल का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री, चैक मीटर रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी परिसर पर दिनांक 12.08.2025 को पुराना मीटर उतारकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। परिवादिनी का कथन है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल अत्यधिक आया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाते समय परिवादिनी परिसर से उतारे गए पुराने मीटर में 8533 रीडिंग अंकित थी, जिसके बाद विपक्षी विभाग द्वारा पुराने मीटर की अनबिल्ड 620 यूनिट खपत को नए स्मार्ट मीटर में अंकित 527 यूनिट को जोड़कर कुल 1147 यूनिट का बिल बनाया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। इससे पूर्व एवं इसके उपरांत परिवादिनी की मासिक खपत में लगभग समानता नजर आती है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की शिकायत पर दिनांक 19.01.2026 को उसके परिसर पर स्थापित नए स्मार्ट मीटर की जांच भी की जा चुकी है, जिसमें मीटर सामान्य पाया गया है। चूंकि त्रुटिरहित मीटर में अंकित खपत के आधार पर निर्गत बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 234 / 2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुबोध कुमार अग्रवाल पुत्र श्री तुलाराम अग्रवाल, परिवादी
1376, पुष्प विहार, आवास विकास कालोनी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सुबोध कुमार अग्रवाल पुत्र श्री तुलाराम अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371ATV1114968 (07 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर खराब हो गया है, जिसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में भी की गई है। शिकायत किए हुए 45 दिन बीत गये है फिर भी मीटर नहीं बदला गया और मीटर खराब होने की वजह से तीन महीनों से गलत बिल बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को बदलवाने एवं बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026, 31.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1142 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के पुराने मापक संख्या–9153396 को बदलकर परिवादी के परिसर दिनांक 14.01.2026 को नया विद्युत मापक संख्या–13506807 स्थापित कर दिया

क्रमशः 2....

गया है। साथ ही परिवादी के परिसर पर स्थापित नये मापक में अंकित रीडिंग के अनुसार माह 10/2025, 11/2025 व 12/2025 में जारी *NA* के बिलों के सापेक्ष *Provisional Adjustment* धनराशि रू0 2873.00 देते हुए दिनांक 16.12.2025 से दिनांक 31.01.2026 तक की अवधि हेतु संशोधित बिल रू0 (–) 1008.00 का जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 243/2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती श्यामलता सिंह पत्नी श्री पवन कुमार, परिवादी
ओम बिहार कालोनी, कुआखेड़ा, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती श्यामलता सिंह पत्नी श्री पवन कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपना नया मकान बनाने के लिए विभागीय कार्यालय से अस्थायी कनेक्शन की फीस जमा कर एक अस्थायी कनेक्शन लिया गया था, जिसमें खम्भे से प्लाट की दूरी लगभग 40 मीटर है। वर्तमान में परिवादिनी उक्त परिसर पर स्थायी संयोजन लेना चाहती हैं। जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या–450081225015 है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने उक्त नये संयोजन देने हेतु रू0 10000.00 रिश्वत मांगी, जिसे देने से परिवादिनी ने इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर अवर अभियन्ता कनेक्शन देने में देरी कर रहे है और दूरी ज्यादा बताकर टाल रहे है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर अस्थायी संयोजन के स्थान पर स्थायी संयोजन लगाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 17.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 31.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 31.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादिनी के पति श्री पवन कुमार के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1415 दिनांक 28.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त परिसर पर दिनांक 07.02.2026 को नया विद्युत संयोजन स्थापित कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। इस पर परिवादिनी द्वारा भी विपक्षी विभाग द्वारा किए गये उक्त कार्य हेतु लिखित संतुष्टि फोरम के समक्ष प्रकट की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये विद्युत संयोजन से सम्बन्धित सर्विस रिलीज की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 245/2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जय चन्द्र सिंह पुत्र श्री बिनेश्वरी सिंह, परिवादी
जसवर कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री जय चन्द्र सिंह पुत्र श्री बिनेश्वरी सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU7A139130978 (06 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक का एकमुश्त रीडिंग 1864 यूनिट का जारी किया गया है, जिससे उनकी विद्युत दरें बढ़ गई और बिल अधिक धनराशि में जारी हो गया है। यदि उक्त अवधि के बिल मासिक खपत के आधार पर जारी किए जाते तो इतना अधिक बिल नहीं आता। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त अवधि के एकमुश्त बिल को मासिक खपत के आधार पर बाँटते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026 व 24.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–396 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का माह 01/2026 का विद्युत बीजक 180 दिन

क्रमशः 2....

(दिनांक 18.07.2025 से दिनांक 14.01.2026 तक) का बनाया गया है, जिसमें परिवादी के Consumption Charges की गणना Pro-rata-Wise की गयी है तथा परिवादी के बीजक में सरचार्ज भी नहीं जोड़ा गया है। अतः परिवादी के विद्युत बीजक में कोई त्रुटि नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 18.07.2025 से 14.01.2026 (180 दिन) का एकमुश्त बिल प्रेषित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बिल Calculation sheet से स्पष्ट है कि उक्त बिल विभागीय नियमानुसार Pro-rata आधार पर एवं उचित टैरिफ स्लैप के अनुसार बनाया गया है, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 247 / 2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीवान सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, परिवादी
ग्राम सिसेया, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री दीवान सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या--KH1L113227609 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक धनराशि का जारी किया गया है, जोकि गलत है। जबकि उनके मीटर की रीडिंग 310 केडब्लूएच है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 23.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026 व 25.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–227 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया गया कि परिवादी का पुराना विद्युत मापक (80033787) खराब होने के कारण दिनांक 18.07.2025 को बदलकर नया विद्युत मापक (531319) स्थापित कर दिया गया है। साथ ही परिवादी के परिसर पर स्थापित नये विद्युत मापक के पाठयांक 310 केडब्लूएच के आधार पर मैनुअली बिलों का संशोधन करने पर

क्रमशः 2....

रू0 2432.80 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 1830.20 का जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 248 / 2025–26 दिनांक : 11.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री थान सिंह पुत्र श्री हर सिंह, परिवादी
फुलसुंगा, वनखण्डीनाथ नगर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री थान सिंह पुत्र श्री हर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–896A302171878 (10 किलोवाट व्यवसायिक) के विद्युत भार का पूर्ण उपभोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में उनका व्यवसाय छोटे पैमाने पर है जिसके लिए स्वीकृत लोड अधिक है। वह अपने उक्त स्वीकृत विद्युत लोड को 10 किलोवाट से कम कराकर 05 किलोवाट कराना चाहता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 25.10.2025 को विभागीय कार्यालय में भी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त व्यवसायिक संयोजन के भार को 10 किलोवाट से घटाकर 05 किलोवाट कराने, विभाग में किए गये आवेदन उपरान्त अतिरिक्त लोड शुल्क वापिस कराने एवं विद्युत भार कटौती में देरी के एवज में मुआवजा दिलाने की भी प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026 व 24.02.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—867 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी पर वर्तमान में माह 01/2026 तक विद्युत बीजक के सापेक्ष धनराशि रू0 4149866.00 लम्बित है। उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त परिवादी से विद्युत बकाये वसूली के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय में वाद संख्या—200/2023 दायर किया गया है, जो अभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है एवं उक्त वाद में अग्रिम सुनवाई की तिथि 27.02.2026 निर्धारित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि—As per UERC Supply Code, 2020-Regulation 4.1.1(3): "The Consumer seeking enhancement/reduction in load at same voltage level shall apply to the distribution Licensee in the form given at Annuexure-VII which shall be made available free of cost at Licensee's sub-division/division or any other office alongwith the proof of payment of the latest bill. The form can also be downloaded from the Licensee' s website or even photocopied." उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, आवेदन की अनिवार्य शर्त Latest bill का Proof of payment है, अर्थात बिल का अद्यतन भुगतान (No Dues) है। देयक लम्बित रहने की स्थिति में परिवादी का विद्युत भार कम कराने योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदन के साथ "Proof of payment of the latest bill" प्रस्तुत करने का प्रावधान ही देनदार परिवादी की प्रक्रिया से स्वतः बाहर कर देता है। इसलिए बकाया लम्बित रहते हुये विद्युत भार कम करने की प्रक्रिया नियमानुसार अनुमन्य नहीं है। चूंकि विद्युत भार में कमी किया जाना अभी तक नियमानुसार स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः वर्तमान में स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार प्रभारित फिक्सड चार्ज की वापसी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही यह कि विलम्ब मुआवजा का प्रश्न जब विद्युत भार कमी की प्रक्रिया ही परिवादी स्तर से बकाया भुगतान के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सकी है, तो UERC Standard of performance Regulation के अंतगर्त किसी भी प्रकार के मुआवजे का दावा बनता ही नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में प्रस्तुत तथ्यों, अभिलेखों एवं लागू विनियमों के आलोक में परिवादी की शिकायत निरस्त करने का अनुरोध करते हुए साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं माननीय उच्च न्यायालय आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षें को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग के समक्ष अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान का विद्युत भार 10 किलोवाट से घटाकर 05 किलोवाट करने के संबन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर रू0 4149866.00 का बकाया लंबित होने का तर्क देते हुए माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम—4.1.1(3) के अनुसार निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा WPMS No. 200 of 2024 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 में माननीय विद्युत औम्बड्समैन, देहरादून के आदेश दिनांक 29.09.2023 पर स्टे लगाया गया है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त स्थगनादेश से विद्युत औम्बड्समैन, देहरादून का निर्णय दिनांक 29.09.2023 निष्प्रभावी हो गया है, जिससे वर्तमान में परिवादी पर विपक्षी विभाग का रू0 4149866.00 बकाया लंबित हो जाता है। अतः विपक्षी विभाग का बकाया लंबित होने की स्थिति में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम—4.1.1(3) के अनुसार परिवादी

क्रमशः 3....

के संयोजन का विद्युत भार कम किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंगाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 249 / 2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री केशव दत्त शर्मा, परिवादी
मदनापुर चक्की मोड़, दिनेशपुर, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री केशव दत्त शर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D308180826 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर तेज चल रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में जाकर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर, चैक मीटर हेतु आवेदन किया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 06.10.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया, चैक मीटर स्थापित करते समय पुराने मीटर का पाठयांक 19287 केडब्लूएच एवं चैक मीटर में पाठयांक 954 केडब्लूएच दर्ज था। इसके उपरान्त दिनांक 13.10.2025 को चैक मीटर फाईनल किया गया तो उस समय पुराने मीटर का पाठयांक 19351 केडब्लूएच एवं चैक मीटर पाठयांक 975 केडब्लूएच दर्ज बताया गया। प्रतिशत के आधार पर 247 प्रतिशत पुराना मीटर तेज चलता पाया गया। जिसके बाद चैक मीटर को ही मैन मीटर के रूप में स्थापित कर दिया गया। साथ ही विद्युत बिल रू0 13205.00 को संशोधित कर रू0 5961.00 का बना दिया गया। लेकिन मीटर खराब होने से पहले उनका बिल 300–400 रूपये तक का ही आता था अब वर्तमान में 3000–5000 रूपये तक का बिल आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के जारी बिलों की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 24.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—897 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर परिवादी को जारी बिल सही पाए गये हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर दिनांक 06.10.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 13.10.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक के सलिंग प्रमाण पत्र एवं चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मापक 248 प्रतिशत तेज चलता पाया गया। चूंकि पुराना मापक 100 प्रतिशत से भी कही गुना अधिक तेज गति से चलता पाया गया, जिसका तकनीकी तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवादी परिसर पर स्थापित पुराना मापक खराब था, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर परिवादी का पिछले उन तीन महीनों का बिल संशोधित नहीं किया गया, जिसमें उक्त खराब पुराने मापक द्वारा अत्यधिक रीडिंग अंकित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार चैक मापक फाइनल करने से पूर्व के तीन महीनों (माह 10/2025, 09/2025 व 08/2025) में पुराने खराब मीटर द्वारा क्रमशः 262 यूनिट, 1583 यूनिट व 446 यूनिट मासिक खपत दर्ज की गई, जबकि इससे पूर्व के एक वर्ष की खपत का अवलोकन करने पर पता चलता है कि परिवादी की मासिक खपत 200 यूनिट से कम ही रही है। इससे स्पष्ट होता है कि माह 07/2025 के उपरांत परिवादी के मापक में कतिपय तकनीकी खराबी आने के कारण उसमें अत्यधिक रीडिंग दर्ज होने लगी, जिससे परिवादी का अधिक बिल आने लगा।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस मंच का यह मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित माह 08/2025, 09/2025 व 10/2025 के सभी बिल निरस्त किए जाने योग्य हैं। माह 08/2025 से पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों में परिवादी द्वारा क्रमशः 165 यूनिट, 137 यूनिट व 77 यूनिट खपत की गई। उक्त तीन बिलिंग चक्रों की प्रतिमाह औसत खपत 126.33 यूनिट बनती है। अतः इस मंच का यह भी मत है कि परिवादी के माह 08/2025, 09/2025 व 10/2025 के बिल उपरोक्त मासिक औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

क्रमशः 3....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा माह 08/2025, 09/2025 व 10/2025 में प्रेषित सभी बिल निरस्त किए जाते हैं। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत अवधि (माह 08/2025, 09/2025 व 10/2025) के बिल उपरोक्तानुसार संशोधित कर उसे प्रेषित करें। विपक्षी विभाग आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र पंयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 254 / 2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मौहम्मद नाजिम पुत्र श्री नवी अहमद, परिवादी
ग्राम गौरीखेड़ा, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद नाजिम पुत्र श्री नवी अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–881H512171881 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके पिता श्री नवी अहमद के नाम दर्ज है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर एप्लिकेशन (NP-UKPC25-8402493/21-11-2025) प्रेषित की गयी थी। जिसके उपरान्त उनके परिसर पर सोलर सिस्टम का इंस्टालेशन दिनांक 13.12.2025 को वेंडर गौरव गुप्ता, फर्म देवभूमि सोलर एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा कुल धनराशि रू0 2,20,000.00 (जिसमें 2 लाख लोन अमाउंट एवं 20 हजार नगद) खर्च कर किया गया है। वेंडर द्वारा कहा गया कि 05 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगवा लीजिए, जिसमें 03 किलोवाट पास है और शेष 02 किलोवाट बाद में एडिशन में जोड़ दिया जायेगा, जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में केवल 03 किलोवाट क्षमता ही स्वीकृत है। वास्तविकता में वेंडर ने न तो 05 किलोवाट लगाया और न ही 3+2 किलोवाट, बल्कि मनमाने ढ़ंग से केवल 03+01 किलोवाट (कुल 04 किलोवाट) का सिस्टम स्थापित किया गया, जो स्वीकृत क्षमता एवं उसके स्वयं के कथन, दोनों के विपरित है। इंस्टालेशन के पश्चात आज तक सिस्टम ऑनलाईन नहीं किया गया है। सिस्टम बिजली उत्पन्न नहीं कर रहा है तथा ग्रिड को कोई विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। सिस्टम पूर्णतः ऑफलाईन एवं निष्क्रिय है। साथ ही वेंडर द्वारा आज तक डिटेल्ड टैक्स इनवॉइस उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिनमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, वाई–फाई डोंगल एवं अन्य सामग्री के सीरियल नम्बर / मॉडल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित हों। इसके अतिरिक्त, वेंडर ने सोलर सिस्टम से सम्बन्धित इलेक्ट्रिकल डिजाइन मैप, सिस्टम कैपलॉग, डेटा–शीट अथवा तकनीकी विवरण भी उपलब्ध नहीं

क्रमशः 2....

कराए गए हैं, जो किसी भी मानक एवं प्रमाणिक सोलर इंस्टॉलेशन के लिए अनिवार्य होते हैं। इन्वर्टर का जो गारंटी कार्ड दिया गया है, उसमें गलत सीरियल नम्बर अंकित है, जिससे वेंडर की धोखाधड़ी की प्रबल आशंका उत्पन्न होती है। साथ ही वेंडर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया एवं एप्लिकेशन फाईल को पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण मुझे सरकारी सब्सिडी प्राप्त नहीं हो पा रही है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सम्बन्धित वेंडर द्वारा यह समस्त कृत्य जानबूझकर, योजना के नियमों के विरूद्ध एवं धोखाधड़ी की नीयत से किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर सम्बन्धित वेंडर द्वारा लगाये गये सोलर सिस्टम को तत्काल परिसर से हटाये जाने, वेंडर के माध्यम से पूरा सोलर लोन अमाउंट का निस्तारण किए जाने, NOC (No Objection Certificate) प्रदान किए जाने, वेंडर को दिए गये 20 हजार नगद वापिस किए जाने अथवा सरकारी नियमों के अनुसार उचित अर्थदंड एवं दंडात्मक कार्यवाही किंए जाने की कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 04.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 23.02.2026 को परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से इस मंच को पत्र भेजकर अपनी शिकायत को उनकी अनुपस्थिति में ही निस्तारित करने का अनुरोध किया गया। परिवादी द्वारा अपनी ईमेल में अवगत कराया गया कि उनके वेंडर द्वारा पूर्व स्थापित दोषपूर्ण सोलर सिस्टम को प्रतिस्थापित कर मानकानुसार 5 किलोवाट सोलर सिस्टम स्थापित कर दिया गया है, जो वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अतः उनकी शिकायत को निस्तारित कर दिया जाए।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत उसके द्वारा अपने मकान पर स्थापित सोलर सिस्टम से संबन्धित वेंडर द्वारा बरती गई खामियों से संबन्धित हैं। चूंकि शिकायत के समस्त बिन्दु परिवादी एवं उसके वेंडर के बीच हुए अनुबन्ध से संबन्धित हैं, जिसके संबन्ध में सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र बियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 255 / 2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री केवल चन्द्र भट्ट पुत्र श्री पुरनानन्द भट्ट, **परिवादी**
नियर मोतेश्वर मन्दिर, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री केवल चन्द्र भट्ट पुत्र श्री पुरनानन्द भट्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KR11122874 (02 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है, वहां दिनांक 14.01.2026 से लाईट फ्लक्चुएशन कर रही है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय में शिकायत दर्ज भी करायी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दिनांक 19.01.2026 को लाईमैन द्वारा बताया गया कि मीटर केबिल जली है, इसकी ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराओं, ऑनलाईन शिकायत भी दर्ज करा दी गयी है फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन की विद्युत आपूर्ति ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 16.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1143 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मापक में स्पार्किंग हो

क्रमशः 2....

रही थी जिस कारण परिवादी के परिसर पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिसको वर्तमान में टीम अडानी से सम्पर्क कर परिवादी की समस्या का निस्तारण करा दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित अवर अभियन्ता रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। दिनांक 21.02.2026 को परिवादी द्वारा भी अपनी शिकायत का समाधान होने के बारे में ई—मेल के माध्यम से संतुष्टि प्रकट की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 257/2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रभात खुराना पुत्र श्री श्याम लाल खुराना, परिवादी
प्लॉट नं0 04, मलिक कालोनी, नियर गुरद्वारा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री प्रभात खुराना पुत्र श्री श्याम लाल खुराना का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1A139861577 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लोड के हिसाब से अधिक आ रहा है। इसकी सूचना विभागीय कार्यालय में भी की गयी है फिर भी बिल सही नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–892 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का माह 10/2024 विद्युत मीटर बदले जाने के उपरान्त आरडीएफ के बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादी को आरडीएफ यूनिट्स का समायोजन देते हुए रू0 10812.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के

क्रमशः 2....

साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 258 / 2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती विछना रावत वास्ते श्री मुकुल सिंह रावत, परिवादी
लाईन नं0 06, फेज–1, हंस विहार कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती विछना रावत की ओर से श्री मुकुल सिंह रावत का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K317209189 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की फेज एवं न्यूटल की वायरिंग में खराबी है, क्योंकि दोनों लाईनें फेज दिखा रही है जबकि उनमें एक फेज न्यूटल होनी चाहिए। इस समस्या के कारण विद्युत उपकरणों को नुकसान का खतरा है साथ ही इस घर के निवासियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना है। यह समस्या बनी हुई है और घर की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित कर रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर उक्त समस्या का समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 21.02.2026 को परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत के समाधान के संबन्ध में संतुष्टि पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें परिवादी ने अवगत कराया कि उनके फेज एवं न्यूट्रल से संबन्धित समस्या का

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग द्वारा निस्तारण कर दिया गया है, जिसके उपरांत विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैग्वाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 259 / 2025–26 दिनांक : 12.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह, परिवादी
ग्राम सकैनिया, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6M408186026 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल दिनांक 26.09.2025 को जारी किया गया जो बहुत अधिक था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि मीटर रीडिंग ज्यादा दे रहा है। उसके पश्चात दिनांक 29.09.2025 को टोल–फ्री नं0 1912 पर शिकायत दर्ज करायी गई। इसके उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 08.10.2025 को चैक मीटर लगाया गया और दिनांक 31.10.2025 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर लगाते समय पुराने मीटर की रीडिंग 19500 दर्ज थी और नये चैक मीटर की रीडिंग 0 थी और जब चैक मीटर फाइनल किया गया तो पुराने मीटर की रीडिंग 26900 थी और चैक मीटर रीडिंग 146 थी। इसके उपरान्त भी बिल सही नहीं किया गया। वर्तमान में दिनांक 02.02.2026 को रू0 86316.00 के बिल का मैसेज प्राप्त हुआ, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 13.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—899 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिल को पूर्व में ही चैक मापक रिपोर्ट के आधार संशोधन करने पर रू0 72371.00 का समायोजन देते हुए रू0 86316.00 का संशोधित बिल बना दिया गया था। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में ही परिवादी के त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक कर संशोधित बिल (रू0 86316.00) उसे प्रेषित कर दिया गया था, जिसके उपरांत परिवादी की इस वर्तमान शिकायत को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैखाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 237 / 2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मुकेश बत्रा पुत्र श्री के0एल0 बत्रा, परिवादी
सी 48, आवास विकास कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री मुकेश बत्रा पुत्र श्री के0एल0 बत्रा का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी माताजी के देहांत के बाद वर्ष 2022 में उनको विरासत में मिले उनके पैतृक निवास पर उनका विद्युत संयोजन संख्या–8913441107150 (01 किलोवाट घरेलू) चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त परिसर एवं परिसर का हाउस टैक्स परिवादी के नाम दर्ज है। उनके द्वारा श्री बलकार सिंह नामक व्यक्ति को उक्त परिसर पर केयरटेकर नियुक्त किया गया है। उक्त परिसर में उनके एवं उक्त केयरटेकर के अलावा कोई अन्य किरायेदार अथवा दुकानदार निवासरत नहीं है। उनके द्वारा पूर्व में बलविन्दर सिंह को अपना केयरटेकर नियुक्त किया गया था, जिसकी नियत खराब हो गई और उसने परिवादी के करोड़ो के मकान को 38 लाख रूपये में अपनी ही पत्नी श्रीमती जगजीत कौर के नाम विक्रय कर इकरारनामा ब्याना (बिना कब्जा) पंजीकृत करवा लिया, जिसकी जानकारी होते ही उन्होंने बलविन्दर सिंह को केयरटेकर से निरस्त कर दिया। इसके बावजूद विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त परिसर पर एक व्यवसायिक (संयोजन संख्या–8968102320273) पर विद्युत मीटर लगा दिया गया, जिसकी जानकारी होने के बाद उनके द्वारा विद्युत विभाग में शिकायत दर्ज करायी और उक्त संयोजन को पी0डी0 कराने हेतु आग्रह भी किय गया, लेकिन कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण उक्त संयोजन को पी0डी0 नहीं किया जा रहा है। इस पर विभाग का कहना है कि उक्त संयोजन मकान परिसर के अन्दर है जिस वजह से पी0डी0 नहीं हो पा रहा है। इसके उपरान्त वर्तमान केयरटेकर बलकार सिंह द्वारा उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर EMEI No-86175807254307B व Serial No-42060402 लाकर पत्र के साथ विभागीय कार्यालय में दिनांक 23.12.2025 को जमा करवा

क्रमशः 2....

दिया गया है। इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर उनके द्वारा इस सम्बन्ध में सी0एम0 पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करायी गयी। साथ ही, श्रीमती जगजीत कौर व बलविन्दर सिंह के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान सिविल जज, रूद्रपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर के समक्ष दीवानी वाद संख्या–106/2025 मुकेश बत्रा बनाम् श्रीमती जगजीत कौर आदि दायर किया गया, जिसमें दिनांक 11.11.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं, जो आज दिनांक तक प्रभावी है। आदेश की एक प्रति पत्रावली पर भी उपलब्ध करायी गयी है। विद्युत विभाग द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके उपरान्त नगर निगम, रूद्रपुर से जारी हाउस टैक्स दिनांक 29.11.2025 की रसीद की छायाप्रति भी विभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की गई, लेकिन विभाग द्वारा उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके उपरोक्त मकान /परिसर पर विद्युत विभाग के कुछ कार्मिकों की मिलीभगत से कब्जा करने की नियत रखने वाले पति–पत्नी से मिलकर गलत तरीके से व्यावसायिक संयोजन जारी कर दिया गया, जबकि वर्तमान में वहा पर कोई दुकान भी संचालित नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर फर्जी तरीके से स्थापित विद्युत संयोजन संख्या–896B102320273, मीटर EMEI No.-86175807254307B व Serial No.-42060402 स्थायी रूप से विच्छेदित (पी0डी0) कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 08.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026, 24.02.2026 व 11.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1452 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती जगजीत कौर के नाम से दिनांक 21.07.2025 को नये वाणिज्यिक संयोजन का आवेदन परिसर सी–48, आवास विकास, रूद्रपुर पर किया गया जिसके भूमि के प्रपत्रों एवं आधार कार्ड की प्रति के आधार पर उपखण्ड कार्यालय स्तर से रजिस्ट्रेशन किया गया। उपभोक्ता के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को नये संयोजन के सापेक्ष धनराशि रू0 4000.00 का भुगतान किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 06.09.2025 को 02 किलोवाट का वाणिज्यिक संयोजन संख्या–896बी102320273 ऊर्जीकृत किया गया। परिवादी श्री मुकेश बत्रा द्वारा दिनांक 06.11.2025 को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम उक्त नये वाणिज्यिक संयोजन के संबन्ध में आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके कम में उपखण्ड अधिकारी, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्र सं0 901 दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से श्रीमती जगजीत कौर पत्नी श्री बलविन्दर सिंह को संयोजन विच्छेदन करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया, तो श्रीमती जगजीत कौर पत्नी श्री बलविन्दर सिंह द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में उक्त भवन पर उनका कब्जा है तथा उनके द्वारा विद्युत का अवैध उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह भी अवगत कराया कि उनके द्वारा परिवादी श्री मुकेश बत्रा पर थाना ट्रांजिट कैम्प में एक प्राथमिकी रिपोर्ट संख्या–133/2025 दर्ज कराई है। परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 05.01.2026 को आपत्ति दर्ज कराते हुए उक्त वाणिज्यिक संयोजन संख्या–896बी102320273 विच्छेदित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, अवगत कराया गया कि उनके द्वारा श्रीमती जगजीत कौर व बलजिंदर

क्रमशः 3....

सिंह के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज, रूद्रपुर, जिला—ऊधमसिंह नगर के समक्ष योजित दीवानी वाद संख्या—106 / 2025 मुकेश बत्रा बनाम श्रीमती जगजीत कौर आदि में दिनांक 11.11.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया है। इस संबन्ध में दिनांक 06.03.2026 को खण्ड कार्यालय को विभागीय अधिवक्ता श्री यू0डी0 जोशी की विधिक राय प्राप्त हुई, जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है कि *"श्री मुकेश बत्रा द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रूद्रपुर में दीवानी वाद संख्या—106 / 2025 श्री मुकेश बत्रा बनाम श्रीमती जगजीत कौर आदि के विरूद्ध दायर किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2025 को जारी स्थगन आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश के रहते उक्त प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का दखल संयोजन काटने जोड़ने व अन्य कार्य बाबत नहीं किया जा सकता है। अतः मेरी राय में न्यायालय के स्थगन आदेश के रहते विद्युत संयोजन कानूनन काटा व जोड़ा नहीं जा सकता है।"* वर्तमान में उपरोक्त विधिक राय के आधार पर उक्त वाणिज्यिक संयोजन विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। परिवादी श्री मुकेश बत्रा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी उक्त वाणिज्यिक संयोजन का बन्द कराने हेतु एक याचिका दायर की गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मा0 सिविल जज के स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत के संबन्ध में माननीय न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन, रूद्रपुर में दीवानी वाद संख्या—106 / 2025 श्री मुकेश बत्रा बनाम श्रीमती जगजीत कौर आदि विचाराधीन है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दीवानी वाद के संबन्ध में दिनांक 11.11.2025 को स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। चूंकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumer) Regulation, 2024 के विनियम—3.1(3) के अनुसार ऐसे प्रकरणों में सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अतः यह मंच परिवादी की शिकायत पर सुनवाई करने अथवा उसमें निर्णय पारित करने में सक्षम नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 240 / 2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती माया दास पत्नी श्री तपन दास, परिवादी
ग्राम मोतीपुर, वार्ड नं0 02, दिनेशपुर, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती माया दास पत्नी श्री तपन दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D203221951 (02 किलोवाट घरेलू) का माह मई 2025 का बिल गलत रीडिंग दर्ज करते हुए अधिक धनराशि का बनाया गया था, जिसकी शिकायत सम्बन्धित जेई कार्यालय में की गयी थी। सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में हर माह लगातार शिकायत करने पर केवल आश्वासन ही दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया था कि मीटर उल्टा चलने के कारण औसत खपत के बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके उपरान्त लगातार शिकायत करने पर विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2025 को खराब पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर (संख्या–42059483) लगा दिया गया। मीटर लगने के बाद भी माह अगस्त व सितम्बर का बिल भी आरडीएफ में ही जारी किया गया। माह अक्टूबर 2025 का सही बिल स्मार्ट मीटर में दर्ज 34 यूनिट खपत के आधार पर जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने बिलिंग पैटर्न की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 15.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026, 24.02.2026 व 13.03.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क

क्रमशः 2....

सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1297 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल संशोधित करते हुए उसमें रू0 6533.00 समायोजन दिया गया। इसके उपरांत मंच के निर्देशानुसार परिवादिनी के विद्युत बिल को पुनः संशोधित करने पर रू0 3798.00 का समायोजन देते हुए रू0 4554.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 242/2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज कुमार, परिवादी
दहला रोड, नानकमत्ता, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री मनोज कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–881M107871839 (02 किलोवाट घरेलू) पर माह अगस्त 2024 में एक पुराना मापक स्थापित किया गया जिसमें पहले से रीडिंग मौजूद थी। इसके बाद पहला बिल जारी किया गया जिसमें असामान्य रूप से अधिक रीडिंग प्रदर्शित थी जो धनराशि रू0 27500.00 का जारी किया गया, जो उनकी विद्युत खपत से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। उनके द्वारा तुरन्त इसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में की गई और विद्युत मीटर का उपयोग बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में लगातार शिकायतें की, लेकिन विभाग द्वारा न तो निरीक्षण किया गया और न ही कोई अपेक्षित कार्यवाही की गयी। विभाग द्वारा लगातार बिल जारी किए जाते रहे, जिसमें अनावश्यक रूप से ब्याज और अतिरिक्त चार्ज जोड़े जाते रहे है। इस कारण विद्युत बिल बढ़कर रू0 34586.00 का हो गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर को बदलवाने, वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य के लिए दोषी कार्मिकों को दण्डित करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 16.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 31.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 31.01.2026, 24.02.2026 व 12.03.2026

क्रमशः 2....

को परिवादी प्रतिनिधि श्री प्रियांशू के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—860 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 27.05.2024 को जारी किया गया जिसके पश्चात परिवादी का प्रथम बीजक सीडीएफ में निर्गत हुआ। दिनांक 27.07.2024 तक सम्बन्धित मापक में 3809 रीडिंग प्रदर्शित थी एवं सीलिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 14.09.2024 तक मापक में 4046 रीडिंग प्रदर्शित थी जिसके विद्युत बीजक औसत खपत के अनुसार दिनांक 27.05.2024 से 25.12.2024 तक एवं 25.12.2024 से 08.03.2026 तक फिक्स चार्ज के आधार पर संशोधन करने पर रू0 6862.75 का समायोजन देते हुए रू0 7747.25 का संशोधित बिल बना दिया गया है, जिसका भुगतान लम्बित है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के अुसार परिवादी का संयोजन माह 12/2024 से वर्तमान तक विच्छेदित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की त्रुटिपूर्ण बिल संबन्धी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। संशोधित बिल का भुगतान प्राप्त होने पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विच्छेदित विद्युत संयोजन तत्काल पुनर्जीवित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की त्रुटिपूर्ण बिल संबन्धी शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि संशोधित बिल का भुगतान प्राप्त होने पर परिवादी के विच्छेदित विद्युत संयोजन को तत्काल पुनर्जीवित करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 266 / 2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रफुल्ल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, परिवादी
ग्राम लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री प्रफुल्ल कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2F320172628 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल केवल फिक्स डिमांड चार्ज पर जारी किया गया है, जबकि उनका विद्युत मीटर सही कार्य कर रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 19.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.03.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7040 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कर रू0 12451.00 का बना दिया गया है जो कि परिवादी द्वारा जमा किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। विभाग द्वारा

क्रमशः 2....

जारी संशोधित बिल पर परिवादी द्वारा अपनी लिखित संतुष्टि भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 270/2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन लाल पुत्र श्री नत्थू लाल, परिवादी
वार्ड नं0 04, भदईपुरा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री मोहन लाल पुत्र श्री नत्थू लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A567168539 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जबकि उसके घर में अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक उपकरण नहीं है, यहां तक की पानी की मोटर भी नहीं है। उनका घर एक टीन सेट का है जिसमें एक बल्प और एक पंखा लगा हुआ है। उनका बिल रू0 100 से 150 के बीच ही आता था लेकिन अचानक बिल अधिक आने लगा है। जनवरी 2026 में स्मार्ट मीटर भी लगा दिया गया फिर भी बिल सही नहीं आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के बिलों की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 24.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1456 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 20.12.2025 को स्मार्ट मापक

क्रमशः 2....

संख्या—42142620 स्थापित किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 04.02.2026 को नये मापक की रीडिंग 182 केडब्लूएच एवं पुराने मापक संख्या—आरडीडी76892 के फाइनल अनबिल्ड रीडिंग 23 केडब्लूएच कुल खपत 205 कुडब्लूएच (दिनांक 10.12.2025 से दिनांक 31.01.2026 तक) पर निर्गत हुआ है जो कि जांच में सही पाया गया है। वर्तमान में उक्त संयोजन के माह 02/2026 के निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष कुल बकाया धनराशि रू0 10092.00 भुगतान हेतु लम्बित है। साथ ही परिवादी द्वारा दिनांक 12.03.2025 के उपरान्त अपने विद्युत बिल के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण पर उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। दिनांक 20.12.2025 को परिवादी परिसर पर पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित करने के उपरांत भी परिवादी को मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रेषित किए गए हैं, जिन पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंधाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 271/2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री लाल चन्द्र पुत्र श्री जिन्दू राम, परिवादी
गुरूनानक चौराहा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री लाल चन्द्र पुत्र श्री जिन्दू राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6A430180160 (01 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल में विद्युत भार 01 किलोवाट के स्थान पर 21 किलोवाट प्रदर्शित हो रहा है जिसकी वजह से अतिरिक्त फिक्स डिमांड चार्ज लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के वास्तविक लोड के अनुसार संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 27.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1294 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का स्वीकृत भार 01 किलोवाट है तथा मापक की जांच करने पर संज्ञान में आया कि मापक में एमडी त्रुटिपूर्ण रूप से 21 किलोवाट दर्शा रहा था, जिसे दिनांक 11.03.2026 को बदल दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप त्रुटिपूर्ण विद्युत मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति भी इस मंच के समक्ष

क्रमशः 2....

प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 274 / 2025–26 दिनांक : 23.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, परिवादी
ग्राम देवीपुरा, जसपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS9H781131978 (05 एचपी नलकूप) का विद्युत बिल एनआर में जारी किया गया है जबकि उनका विद्युत मीटर सही है। इसकी शिकायत विभाग में भी की गयी, परन्तु एनआर बिल रू0 28607.00 को संशोधित नहीं किया गया है। सम्बन्धित भुगतान हेतु विभागीय कार्यालय द्वारा दवाब बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को मापक में दर्ज पाठयांक के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 28.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.03.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दिवाकर मौर्य, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5794 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के मापक में दर्ज वर्तमान रीडिंग 4427 केडब्लूएच के आधार पर परिवादी का संशोधित बिल रू0 19678.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की

क्रमशः 2....

गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 184 / 2025–26 दिनांक : 24.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 बरार फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, परिवादी
रंजीत नगर फार्म, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 बरार फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K000010422 (980 केवीए, औद्योगिक) पर दिनांक 03.05.2025 को विद्युत विभाग द्वारा पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। माह मई 2025 की बिलिंग में उनकी फर्म की ऑफ सीजन छूट हटा दी गई और इस अवधि में जुर्माना भी लगा दिया गया, जबकि उनके प्लांट में डिमाण्ड कंट्रोलर लगा होने के कारण उनकी डिमाण्ड कभी भी ऑफ सीजन हेतु नियत सीमा तक नहीं पहुंची थी। उनके उक्त परिसर में पहले से ही एक चेक मीटर स्थापित है तथा एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार ऑफ सीजन में उनकी डिमांड ऑफ सीजन छूट के लिए निर्धारित अनिवार्य सीमा से कम रही है। उनकी फर्म द्वारा अपने प्लांट के विद्युत संयोजन पर विगत 10 वर्ष से मौसमी उद्योगों हेतु निर्धारित टैरिफ का लाभ प्राप्त कर रहा है, परन्तु स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद उनके प्लांट का इतना अधिक बिल जारी किया गया, जिसके कारण वर्तमान में उनको ऑफ सीजन टैरिफ के लाभ से वंचित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के विद्युत बिल को संशोधित कराकर उनको मौसमी उद्योगों हेतु निर्धारित ऑफ सीजन लाभ दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

28.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025, 16.01.2026, 31.01.2026, 25.02.2026 व 13.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशासी अभियंता एवं सुश्री विजयलक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4255 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन संख्या—360के000010422 का स्वीकृत विद्युत भार 980 केवीए, एमएफ 1500 द्वारा दिनांक 07.03.2025 को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में अपनी विधा हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में Seasonal Industries के लाभ मिलने के क्रम में अपनी योग्यता आख्या प्रस्तुत की। उक्त के क्रम में विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर के कार्यालय पत्रांक 922/वि0वि0ख0(बा0) दिनांक 17.03.2025 द्वारा परिवादी का Off Season Period 01.04.2025 से 30.11.2025 तक Season Industries के प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया है। उक्त के क्रम में परिवादी के संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के Recored अनुसार दिनांक 26.05.2025 को Maximum Demand (0.2 KVA X 1500=300 KVA) Record हुई एवं वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए लागू UERC के Tariff में उल्लेखित नियमानुसार RTS-5 : LT & HT Industries.

For Seasonal Industries.

Point no. 04 (iii). During 'Off Season' Period, the maximum allowable demand will be 30% of the contracted demand and the consuemers whose actual demand exceeds 30% of the contracted demand in any month of the 'Off Season' will be denied the above benefit of reduced contracted demand during the season. In addition, a surcharge at the rate of 10% of the demand charge shall be payble for the entire 'Off Season' Period.

चूंकि परिवादी द्वारा माह मई 2025 में उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया जिसके फलस्वरूप माह मई 2025 में Fixed Demand Charge & Excess off season load surcharge उपभोक्ता के विद्युत बिल में जोड़ा गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का सम्मयक परिशीलन करने के उपरांत इस मंच ने पाया कि एक मौसमी उद्योग होने के कारण परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या—360K000010422 (980 केवीए) के लिए विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर के कार्यालय पत्रांक 922/वि0वि0ख0(बा0) दिनांक 17.03.2025 के द्वारा Season Industries के प्रतिबंधों के अधीन 01.04.2025 से 30.11.2025 तक Off Season Period स्वीकृति प्राप्त की गई। यहां पर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आर्डर के अध्याय—RTS-5 : LT & HT Industries के अंतर्गत मौसमी उद्योगों हेतु उल्लिखित Off Season benefit के विशेष प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि निम्नवत है.....

क्रमशः 3....

"4. Seasonal Industries

Where a consumer having load in excess of 18 KW (25 BHP) and ToD meter and avails supply of energy for declared Seasonal Industries during certain seasons or limited period in the year, and his plant is regularly closed down during certain months of the financial year, he may be levied for the months during which the plant is shut down (which period shall be referred to as off-season period) as follows:

i) The tariff for 'Season' period shall be same as "Rate of Charge" as given in this schedule.

ii) Where actual demand in 'Off Season' Period is not more than 30% of contracted load, the energy charges for "Off-Season" period shall be same as energy charges for "Season" period given in Rate of Schedule above. However, the contracted demand in the "Off Season" period shall be reduced to 30%.

iii) During 'Off-season' period, the maximum allowable demand will be 30% of the contracted demand and the consumers whose actual demand exceeds 30% of the contracted demand in any month of the 'Off-Season' will be denied the above benefit of reduced contracted demand during that season. In addition, a surcharge at the rate of 10% of the demand charge shall be payable for the entire 'off Season' period."

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा टैरिफ आर्डर में उल्लिखित उक्त प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करके Off Season benefit का लाभ कई वर्षों से प्राप्त किया जाता रहा है, परन्तु माह अप्रैल 2025 के बिल में परिवादी प्रतिष्ठान की अधिकतम डिमांड 465.34 केवीए पहुंच गई तथा परिवादी के संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के Recored अनुसार दिनांक 26.05.2025 को अधिकतम डिमांड (0.2 KVA X 1500=300 KVA) रिकार्ड की गई, जोकि उसकी अनुबन्धित डिमांड 980 केवीए के 30 प्रतिशत से अधिक है। चूंकि विपक्षी विभाग के आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन हेतु Season Industries के प्रतिबंधों के अधीन दिनांक 17.03.2025 के द्वारा Season Industries के प्रतिबंधों के अधीन Off Season Period 01.04.2025 से 30.11.2025 तक स्वीकृत किया गया है। ऐसे में परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा Off Season benefit का लाभ प्राप्त करने हेतु टैरिफ आर्डर में वर्णित उपरोक्त अनिवार्य शर्त (बिन्दु—4.(iii)) का उल्लंघन किया गया है, जिससे संपूर्ण Off Season Period (01.04.2025 से 30.11.2025 तक) के लिए Off Season benefit का लाभ प्राप्त करने की परिवादी प्रतिष्ठान की योग्यता ही खत्म हो गई। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस मंच का स्पष्ट मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी प्रतिष्ठान को प्रेषित समस्त बिल सही एवं नियमानुकूल हैं, जिन पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

क्रमशः 4....

परिवाद संख्या—184 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 233/2025–26 दिनांक : 24.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 नेचर फ्रोजन फूड्स सीओ श्री जितेन्द्र सिंह,
ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 नेचर फ्रोजन फूड्स की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K000029868 (800 केवीए औद्योगिक) का उपयोग मटर फ्रोजन करने में किया जाता है। यह प्रक्रिया सीजन के हिसाब से होती है और सीजन के हिसाब से ही विद्युत का उपभोग किया जाता है, जो लगभग माह दिसम्बर से मार्च तक चलता है। सीजन के हिसाब से फर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका बिल भी समयानुसार जमा किया जाता रहा है। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर के अभियान के तहत उनके प्रतिष्ठान का मीटर भी दिनांक 02.05.2025 को बदल दिया गया। इसके बाद उनको स्मार्ट मीटर का पहला बिल दिनांक 18.05.2025 को जारी किया गया, जिसमे रीडिंग एवं रीडिंग की गणना स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबन्ध में विभागीय कार्यालय में शिकायत की गई, परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत जारी माह अप्रैल 2025 एवं माह मई 2025 के बिलों में गड़बड़ी के बाद से लगातार गलत बिल जारी किए जा रहे हैं, जबकि उक्त बिल उनके ऑफ सीजन के बिल हैं तथा इतनी अधिक खपत उनके प्रतिष्ठान में सीजन के दौरान भी नहीं होती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराने एवं पुराने मीटर पर जारी बिलों एवं स्मार्ट मीटर पर जारी बिलों की समीक्षा करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 01.01.2026 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026, 31.01.2026, 25.02.2026 व 13.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशासी अभियंता एवं सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—980 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध सीलिंग प्रमाण—पत्र के अनुसार दिनांक 09.01.2026 को परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 29.01.2026 को चैक मापक फाईनालाईज किया गया। दोनों मापको में समान अन्तर आने के कारण चैक मापक को उतार लिया गया। जिससे ज्ञात होता है कि परिवादी को विद्युत बिल मापक खपत हो रही वास्तविक यूनिट के अनुसार ही प्रेषित किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट (सीलिंग प्रमाण पत्र) एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2025 को परिवादी के पुराने मापक संख्या—क्यू0482693 के स्थान पर नया स्मार्ट मापक संख्या—46000704 स्थापित किया गया। परिवादी का कथन है कि स्मार्ट मापक स्थापित करने के उपरांत उनके बिल लगातार त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक खपत के आ रहे हैं। परिवादी की इस शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—14/2835 के द्वारा परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 29.01.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र सख्या—19/2835 के द्वारा चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी प्रतिष्ठान का पुराना मापक सही पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि परिवादी परिसर पर स्थापित स्मार्ट मापक सही पाया गया है। अतः उक्त मापक में अंकित रीडिंग के आधार पर परिवादी प्रतिष्ठान को प्रेषित समस्त बिल सही एवं नियमानुकूल हैं, जिन पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी प्रतिष्ठान की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गैरोला)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 267/2025–26 दिनांक : 24.03.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार, परिवादी
मकान नं0–जी34, पांच मन्दिर गली, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि जिस परिसर पर उनका विद्युत संयोजन संख्या–RU2A454147534 (01 किलोवाट घरेलू) चला आ रहा है, वहां पर वह अपने परिवार सहित मूल स्वामी स्व0 मातूराम पुत्र स्व0 गूगलमल के जीवकाल से बतौर किरायेदार रहते चले आ रहे है। श्री मातूराम जी का स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके पुत्र श्री केवल बंसल ने उक्त भवन का आधा हिस्सा विक्रय कर दिया था तथा आधे हिस्से के प्रथम तल पर प्रार्थिनी अपनी माता व परिवार के साथ निवास करती आ रही थी, जिसमें श्री केवल बंसल द्वारा प्रार्थिनी को विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमति दे दी थी। श्री केवल बंसल द्वारा दी गई अनापत्ति के उपरान्त विद्युत विभाग से वर्ष 2009 में उक्त संयोजन उनके नाम पर निर्गत किया गया, जिसके विद्युत बिल का उनके द्वारा समय–समय पर भुगतान किया जा रहा है। भवन के मूल स्वामी मातूराम बंसल का निधन हो गया है और उनके तीन पुत्रों जितेन्द्र बंसल, वीरदेव बंसल व केवल बंसल में से वीरदेव बंसल तथा केवल बंसल की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके द्वारा जितेन्द्र बंसल, वीरदेव बंसल व केवल बंसल पुत्रगण स्व0 श्री मातूराम निवासी जालन्धर, पंजाब के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा दीवानी वाद संख्या–46/2018 श्रीमती अनुराधा शर्मा बनाम जितेन्द्र बंसल आदि में मा0 न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) रूद्रपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर में वास्ते योजित कर रखा है तथा उपरोक्त वाद में मा0 न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 12.10.2023 स्वीकार किया गया तथा विपक्षीगण को उनके किरायेदारी वाली भवन में बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन गैरकानूनी

क्रमशः 2....

रूप से बेदखल करने व अन्य किसी प्रकार की बेजामदाखलत करने से रोका गया है, परन्तु जितेन्द्र बंसल द्वारा उक्त परिसर पर उनके नाम से जारी विद्युत संयोजन को अवैध बताते हुए मा0 न्यायालय से स्टे होने के बावजूद विच्छेदित करा दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों के द्वारा दी गई विधिक व्यवस्था के अनुसार जल एवं विद्युत एक मूलभूत आवश्यकता है और मकान मालिक किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए मजबूर करने हेतु अवैध रूप से बिजली, पानी जैसी सेवाओं को बन्द नहीं करा सकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर दीवानी वाद संख्या—46/2018 श्रीमती अनुराधा शर्मा बनाम श्री जितेन्द्र बंसल आदि में माननीय न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), रूद्रपुर, जिला—ऊधमसिंह नगर द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने तक उनके विद्युत संयोजन को सुचारू रूप से ऊर्जीकृत करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर—2 को अपने पत्र दिनांक 19.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.03.2026 व 23.03.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा अपनी इस वर्तमान शिकायत में अपने किराए के मकान पर उनके नाम से वर्ष 2009 में निर्गत विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने की जानकारी देते हुए उक्त विच्छेदित संयोजन को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी विभाग की ओर से लगातार दो तिथियों पर पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद परिवादिनी की वर्तमान शिकायत के संबन्ध में अपना जवाब दावा इस मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, अग्रिम तिथि हेतु समय विस्तार के संबन्ध में भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का कथन है कि वह अपने उक्त प्रश्नगत विद्युत संयोजन के समस्त बिलों का नियमित रूप से भुगतान करती आ रही हैं तथा वर्तमान में भी उन पर विद्युत बिल का कोई बकाया शेष नहीं है। विपक्षी विभाग यह स्पष्ट करने में भी असफल रहा कि विद्युत बिल का बकाया अवशेष न होने के बावजूद उनके द्वारा किस विनियम अथवा उपविनियम के अंतर्गत प्राप्त किस अधिकार का प्रयोग करते हुए परिवादिनी का विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा श्री जितेन्द्र बंसल के दबाव में आकर उनका संयोजन विच्छेदित किया गया है, जबकि इस संबन्ध में उनके द्वारा योजित दीवानी वाद संख्या—46/2018 श्रीमती अनुराधा शर्मा बनाम श्री जितेन्द्र बंसल आदि में माननीय न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), रूद्रपुर, जिला—ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश में विपक्षीगण को उनके किरायेदारी वाली भवन में बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन गैरकानूनी रूप से बेदखल करने व अन्य किसी प्रकार की बेजामदाखलत करने से रोका गया है। परिवादिनी द्वारा अपनी मूल शिकायत के साथ माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश की प्रति भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी की वर्तमान शिकायत के संबन्ध में

क्रमशः 3....

माननीय न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), रूद्रपुर, जिला—ऊधमसिंह नगर में दीवानी वाद संख्या—46 / 2018 श्रीमती अनुराधा शर्मा बनाम श्री जितेन्द्र बंसल आदि विचाराधीन है तथा इस संबन्ध में माननीय न्यायालय, सिविल जज (अवर खण्ड), रूद्रपुर, द्वारा दिनांक 12.10.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भी पारित किया जा चुका है। चूंकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointment of Members and Proccdure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of Consumer) Regulation, 2024 के विनियम—3.1(3) के अनुसार ऐसे प्रकरणों में सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अतः यह मंच परिवादिनी की वर्तमान शिकायत के संबन्ध में सुनवाई करने अथवा निर्णय पारित करने में सक्षम नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य